



समाहरणालय बांका
(आपदा प्रबंधन शाखा)



संभावित बाढ़ 2018 की पूर्व तैयारी हेतु सामग्री खरीद की निविदा

वर्ष 2018 में संभावित बाढ़ को ध्यान में रखते हुए प्रभावित परिवारों के बीच खाद्य सामग्रियों एवं अन्य सामग्रियों के मुफ्त वितरण हेतु द्वि-पद्धति लिफाफा विधि से सामग्रियों का दर निर्धारण एवं आपूर्ति करने के लिए मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता सीलबंद निविदा जिला आपदा प्रबंधन शाखा, बांका में दिनांक- 16.07.2018 के अपराह्न 03:00 बजे तक जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 04:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। सामग्री की विवरणी एवं अन्य शर्त जिले के वेबसाइट <http://banka.bih.nic.in> एवं जिला आपदा प्रबंधन शाखा, बांका से प्राप्त की जा सकती है।

सामग्री की विवरणी एवं शर्त निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	सामग्री का नाम	प्रकार/गुणवत्ता	अन्य विवरण
1	2	3	4
1	चूड़ा	स्वर्णा	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		सीता	
		अन्य किस्म	
2	मुढ़ी	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
3	गुड़	रवादार (गीला)	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		सूखा (चक्की)	
4	चना	देशी/एम0पी0	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		अन्य किस्म	
5	चना सत्तु	देशी/एम0पी0	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		अन्य किस्म	
6	आटा	लोकल (खुला)	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		अच्छे ब्राण्ड का 5kg/10kg	दर प्रति 5kg/10kg पैकेट में अंकित होगा।
7	चावल	स्वर्णा	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		सीता	
		परमल	
8	दाल	अरहर	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		चना	
		मूंग (देशी)	
		मसूर	
9	सरसों तेल	हाथी ब्राण्ड	दर 15 किलोग्राम प्रति टिन अंकित होगा।
		मंगल ब्राण्ड	
		ईजन ब्राण्ड	
		धारा (5 कि0ग्रा0) अन्य ब्राण्ड	

10	मसाला-ब्राण्ड	जीरा (खड़ा)	दर 250gm x 4 = 1000gm अलग-अलग में अंकित करेंगे। साथ ही ब्राण्ड का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होगा।
		जीरा (पाउडर)	
		हल्दी पाउडर	
		लाल मिर्च (खड़ा)	
		लाल मिर्च (पाउडर)	
		धनियाँ पाउडर	
		गोल मिर्च (खड़ा)	
		गोल मिर्च (पाउडर)	
	मसाला लोकल (खुला)	जीरा (खड़ा)	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		जीरा (पाउडर)	
		हल्दी पाउडर	
		लाल मिर्च (खड़ा)	
		लाल मिर्च (पाउडर)	
		धनियाँ पाउडर	
गोल मिर्च (खड़ा)			
गोल मिर्च (पाउडर)			
11	आलू	लोकल बाहरी	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
12	प्याज	लोकल नासिक	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
13	लहसुन	लोकल नासिक	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
14	पावरोटी	400 ग्राम का शकुन 200 ग्राम का शकुन 400 ग्राम अन्य ब्राण्ड 150 ग्राम अन्य ब्राण्ड	दर प्रति पैकेट अंकित होगा।
15	बिस्कुट	ब्रिटा0 टाईगर (75 ग्राम) ब्रिटा0 मिल्क बिकीस (250 ग्राम) आरारोट (400 ग्राम)	दर प्रति पैकेट अंकित होगा।
16	दूध पाउडर (6 माह से 2 वर्ष के बच्चों के लिए)	Amulya Spray 500gm Lactogen 500gm	दर प्रति 500 ग्राम का डब्बा का अंकित होगा।
17	सिनेटरी किट (6 माह से 2 वर्ष के बच्चों के लिए)	Huggies Mamy Poko Pants Pampers	दर प्रति पैकेट अंकित होगा।
18	सिनेटरी किट (महिलाओं के लिए)	Stayfree Carefree Whisper	दर प्रति पैकेट अंकित होगा।
19	आयोडाईज्ड नमक	स्थानीय (खुला) टाटा नमक	दर प्रति बोरा (01 कि०ग्रा० का 50 पैकेट) अंकित होगा।
20	चीनी	मोटा	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
21	माचिस मझोला साईज	AIM BALL HOME LITE	दर प्रति कार्टून (600 पीस) अंकित होगा।
22	मोमबत्ती	8.5"X2.5" अच्छे किस्म का	दर प्रति कार्टून (एक कार्टून में 50 पैकेट एक पैकेट में 6 पीस) यदि ब्राण्ड हो तो उसका नाम अंकित करें।

23	मार्किन कपड़ा का थैला	लम्बाई 2 फीट X चौड़ाई 1.5 फीट (अच्छे किस्म का)	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
24	प्लास्टिक थैला	5 कि०ग्रा० वजन के लिए 2.5 कि०ग्रा० वजन के लिए	दर प्रति कि०ग्रा० में अंकित होगा।
25	सिमेन्ट की खाली बोरियाँ	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
26	सुतली	अच्छे किस्म का	दर प्रति किलो अंकित होगा।
27	मच्छरदानी	सिंगल बेड अच्छे किस्म का डबल बेड अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा। यदि ब्राण्ड हो तो उसका नाम अंकित करें।
28	धोती	अच्छे किस्म का साधारण	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा। यदि ब्राण्ड हो तो उसका नाम अंकित करें।
29	साड़ी	सूती 5.5 मीटर लम्बा सिन्थेटिक 5.5 मीटर लम्बा	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा। यदि ब्राण्ड हो तो उसका नाम अंकित करें।
30	गंजी	अच्छे किस्म का साधारण	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा। यदि ब्राण्ड हो तो उसका नाम अंकित करें।
31	लूंगी	अच्छे किस्म का साधारण	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा। यदि ब्राण्ड हो तो उसका नाम अंकित करें।
32	गमछा	अच्छे किस्म का साधारण	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा। यदि ब्राण्ड हो तो उसका नाम अंकित करें।
33	दरी	6' X 4', 7' X 5'	प्रति 10 नग।
34	चटाई	6' X 4'	प्रति 10 नग।
35	थाली	स्टील थर्मोकोल सखुआ पत्तल	प्रति 10 नग। प्रति 100 नग। प्रति 100 नग।
36	कटोरा	स्टील थर्मोकोल सखुआ पत्तल	प्रति 10 नग। प्रति 100 नग। प्रति 100 नग।
37	ग्लास	स्टील प्लास्टिक	प्रति 10 नग। प्रति 100 नग।
38	खाना बनाने का सभी प्रकार का बर्तन (भाड़े पर)	-	प्रति दिन/ प्रति माह
39	खाना बनाने का गैस भट्ठी/चुल्हा (भाड़े पर)	-	प्रति दिन/ प्रति माह
40	लकड़ी (जलावन)	-	दर प्रति क्वीटल अंकित होगा।
41	जेनरेटर (भाड़े पर)	5 एवं 10 के०भी०ए०	प्रति दिन/ प्रति माह
42	जेनरेटर (ईंधन एवं ऑपरेटर सहित)	5 एवं 10 के०भी०ए०	प्रति दिन/ प्रति माह
43	सभी प्रकार के जेनरेटर से चलने वाले सामग्री (भाड़े पर)	मरकरी, सी०एफ०एल० एवं पंखा	प्रति दिन/ प्रति माह
44	पेट्रोमेक्स (भाड़े पर)	-	प्रति दिन/ प्रति माह

निविदा की शर्त :-

1. निविदा के रूप में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा सभी कागजातों के साथ अलग-अलग शील्ड लिफाफों में जमा करना होगा।

तकनीकी निविदा :-

2. तकनीकी निविदा के साथ वाणिज्य कर विभाग का निबंधन प्रमाण-पत्र, आयकर विभाग द्वारा निर्गत पेन कार्ड की छायाप्रति एवं दो वर्षों (वर्ष 2016-17 एवं 2017-18) का वार्षिक आयकर दाखिल का प्रमाण-पत्र देना होगा।


3. निविदादाता द्वारा मो0- 10,000/- (दस हजार) रू0 जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है, जो जिला पदाधिकारी, बांका के पदनाम से बांका में विकलनीय होगा। दस हजार रू0 नगद भी स्वीकार किया जायेगा, जिसे जिला नजार्त शाखा, बांका में जमा कर नाजिर रसीद प्राप्त किया जा सकता है, नाजिर रसीद मूल में निविदा के साथ संलग्न किया जायेगा।
4. निविदादाता/फर्म को काली सूची में नहीं होने से संबंधित शपथ-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
5. निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित कर संलग्न करना आवश्यक होगा।

वित्तीय निविदा :-

6. वित्तीय निविदा में सभी सामग्री का दर प्रति क्वीटल/किलोग्राम/प्रति पैकेट सभी कर सहित अंकित करनी होगी।
7. निविदा में आपूर्ति किये जानेवाले सामग्रियों की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

अन्य शर्त :-

8. निविदादाताओं में से स्वीकृत निविदादाता को इस आशय का एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश के साथ ही स्वीकृत नमूना के अनुरूप उचित संख्या, साईज, गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार सामानों की आपूर्ति निश्चित रूप से कर देंगे एवं आवश्यकतानुसार इस जिला के सभी अंचल मुख्यालयों तक पहुंचा देंगे।
9. निविदा में अंकित मूल्य पर किसी भी स्थान पर (जिला के अन्दर) खाद्य एवं अन्य आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करना होगा। इसके लिए अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
10. सामग्रियों की गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम दर पर अलग-अलग आपूर्तिकर्ताओं से भी आपूर्ति प्राप्त किया जा सकता है।
11. निविदा खोलने के दिन सभी सामग्रियों का नमूना साथ में लायेंगे ताकि उनकी गुणवत्ता की जाँच की जा सके। स्वीकृत की गई निविदा के निविदादाता नमूना के अनुसार सभी सामग्रियों का भंडारण पर्याप्त मात्रा में अपने पास कर लेंगे।
12. स्वीकृत किये गये नमूने के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति नहीं किये जाने पर आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा एवं जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी। साथ ही आपूर्ति सामग्री आपूर्तिकर्ता को वापस ले जानी होगी, इसके लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति भुगतान का दावा अमान्य होगा।
13. स्वीकृत आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा ससमय आदेशित सामग्री की आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में आवश्यकता के मद्देनजर अन्य निविदादाताओं या स्थानीय बाजार से अनुमोदित दर पर आपूर्ति ली जा सकती है।
14. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी भी प्रकार की अग्रिम देय नहीं होगी। आपूर्तिकर्ता को किसी प्रकार का परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।
15. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
16. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
17. कोई भी निविदा या दावा बांका जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा।
18. आपूर्ति की गई सामग्रियों के विरुद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार जी0एस0टी0 टैक्स/आयकर देय होगा, जिसकी कटौती एक मुश्त भुगतान के समय की जायेगी।
19. सामग्री के गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम दर के निविदाकर्ता को अधिमानता दी जायेगी।


 जिला पदाधिकारी
 बांका